# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1908, 1909, 1910, 1911 एवं 1912/2016.....जिला.....जयपुर

उनवान – मैसर्स शिव विलास रिसोर्टस प्रा0 लि0, जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर। 2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वा.क.वि. जयपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

05.09.2016

**एकलपीठ**

**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री यशस्वी शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त पांच अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक दिनांक 08.08.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दि. 28.3.2016 निर्धारण वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए बकाया मांग राशियों की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है :–

| अ.सं. | कर नि. वर्ष | अपी.अधिकारी की अपील सं. एवं अपील आदेश दिनांक | अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि | अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि | कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1908/16 | 10–11 | अ.प्रा./II/स्थगन/अ.सं. 160/16–17/08.08.16 | 2,43,500 | 1,36,830 | **1,06,670** |
| 1909/16 | 11–12 | अ.प्रा./II/स्थगन/अ.सं. 161/16–17/08.08.16 | 4,17,820 | 2,42,948 | **1,74,872** |
| 1910/16 | 12–13 | अ.प्रा./II/स्थगन/अ.सं. 162/16–17/08.08.16 | 6,47,080 | 3,89,664 | **2,57,416** |
| 1911/16 | 3–14 | अ.प्रा./II/स्थगन/अ.सं. 163/16–17/08.08.16 | 12,82,060 | 8,01,310 | **4,80,750** |
| 1912/16 | 14–15 | अ.प्रा./II/स्थगन/अ.सं. 164/16–17/08.08.16 | 7,83,780 | 5,08,966 | **2,74,814** |

बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा होकर कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशियों में से आंशिक राशि की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंधी किसी प्रकार के विधिक कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया गया है। उनके द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.....2

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से आंशिक राशियों की वसूली को एक वर्ष या उनके समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय दोनों में से जो भी पहले हो, तक स्थगित किया है। उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय तक स्थगित करने हेतु निवेदन किया गया है, इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सर्विस टैक्स एक टैक्स है और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) में वर्णित सेल प्राईस का प्रथम दृष्टया भाग है। अतः कर निर्धारण आदेश में विवेचित संव्यवहारों के संदर्भ में सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट के विवादित बिन्दु पर वर्तमान में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, सर्विस टैक्स की राशियों पर आरोपित वैट पर स्थगन प्रदान नहीं किया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कायम मांग राशियों में से अधिकतम भाग की वसूली योग्य राशियों को स्थगित किया है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से बकाया मांग राशियों की वसूली हेतु प्रस्तुत यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाये जाते है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया

( खेमराज )
अध्यक्ष